

लीज अवधि प्रमाण-प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु चुनार-बड़ागांव-जंगल महाल मार्ग के (किमी० सं०-0.00 से 10.70), आराजी सं०-173/1, ग्राम-जंगल महाल उत्तरी, जिला-मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य से वन प्रभाग, मीरजापुर की 0.09 हे० आरक्षित वन भूमि होगी, जिसे 50 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट निर्धारित किया जायेगा उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

Eg. Kanhaiya Jha
(प्राधिकृत हस्ताक्षरता)
आयुक्त आभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
मीरजापुर